FORM No. III

App-A
Crm-I

# फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम भूपालसागर

उदयलाल बनाम गोकुलदास

रस्म मुकदमा 88/188 Rj. Act नं. 51 सन 2014

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 12/9/2019 | पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि मौजा ताणा प०ह० ताणा तहसील भूपालसागर की आ०न० 2012 रकबा 0.19 हे. आ०न० 2013 रकबा 0.17 हे. कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हे० स्थित है। जिसके साबिक आ०न० 800 रकबा 1 बिघा 13 बिस्वा थे। उक्त आराजियात नारायण दास पिता विष्णुदास के 1/2 हिस्से की खातेदारी एवं कब्जे की थी उक्त साबिक आ०न० 800 वादी के हक में नारायण दास की मृत्यु के बाद इनकी पत्नी चुन्नी बाई ने वसीयत से वादी उदयदास के हक मे आराजीयात को वसीयत के जरिये अपना 1/2 हक हिस्सा वादी के नाम कर दिया तब से वादी व प्रतिवादीगण गोकुलदास 1/2 के बराबर हिस्से के संयुक्त रूप से काबिज चले आ रहे है दौराने सेटलमेंट के दौरान राजस्व कर्मचारियों की भूल से उक्त आराजीयात को नाराणी के तनहा खाते दर्ज कर दी जो गलत है। वादी उक्त आराजियात को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। उक्त आराजीयात नाराणी बाई बेवा मथुरादास व उगी बाई और देऊ बाई के नाम राजस्व कर्मचारियो की भूल से राजस्व रेकार्ड मे उक्त आराजीयात को तनहा खाते दर्ज हो गयी और नाराणी की मृत्यु हो जाने के पश्चात उगी बाई व | |

(अभिनव गोयल)
उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहकाम हुक्म में तारीख हुक्म |
|---|---|---|
| | व रेकड बाद में गोकुलदास के हक में इन्तकाल कर दिया और उक्त आराजीयात गोकुलदास के नाम तनहा खाते दर्ज हो गयी। उक्त आराजी वर्तमान राजस्व रेकार्ड में प्रतिवादी गोकुलदास के खाते दर्ज होने से वादी को आशंका रहती है कि प्रतिवादी भूमि को रहन, विक्रय, बख्शीश कर देगा, व कब्जे में दखलंदाजी भी कर सकता है। अतः 1/2 हक हिस्से बाबत वाद पत्र प्रस्तुत किया। हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी खेमा। हाजिर आये। पेशी दिनांक 29.8.2019 को हाजिर नहीं आने से एकतरफा कार्यवाही की गई। साक्ष्य वादी में वादी की ओर से मदनसिंह, देवी लाल, उदीबाई व भीम सिंह के शपथपत्र प्रस्तुत किये। व वादी उदय लाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किये। पत्रावली का अवलोकन किया। स्थानिक प्रमाणनी सम्वत 2034-2041 मिसल 2 का अवलोकन किया। आ0 नं0 आराजियात 298, 303, 304, 292, 800 कुल किता 5 कुल रकबा 8 बिघा 11 बिस्वा में डिग्री के नारायण दास पिता विष्णुदास 1/2 नाम की खतौनी है। उक्त में से नारायण दास ने आ0 नं0 292 रकबा 5 बीघा में से अपना 1/2 हिस्सा कुलदीपराम पिता कालीराम जाट को विक्रय करना अंकन पाया गया। मिसल 3 में उक्त आराजियात नम्बरान के नये नम्बर बने जिसमें नारायण दास का नाम होते सेटलमेन्ट हट गया। आराजी आ0 नं0 292 से 1053 व 1052 नये नम्बर बने। आ0 नं0 298 से 1086 आ0 नं0 303 से 1088 व आ0 नं0 304 | |

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
[illegible] अधिकारी, भूपालसागर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | से 1081 नये नम्बरान बने। नामांतरण दाम लाय आ०न० 292 का ही लेखान किया गया था। जबकि आ०न० 292, 298, 303, 304 से बने नये नम्बरान में विक्रेता कुलदीराम का 42 हिस्से से नाम दर्ज रेकार्ड हुआ। वादी उदयलाल द्वारा आ०न० 298, 303, 304 से बने नम्बरान में कोई दावा नही चाही गई है। वादी उदय लाल द्वारा जानकि आ०न० 800 जिसके नये नम्बर 2092, 2093 बने है पर दावा चाही गई है। जो प्रदर्श 3 में नाराजी केवल मथुरा राम उर्फ बाई केड नारि दि. मथुराराम बैरागी के नाम दर्ज है। प्रदर्श 4, प्रदर्श 5 का अवलोकन किया जिसमें जानकि नम्बरान में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कपासन के नारायण दास का 42 हिस्से में नामान्तरण हुआ। प्रदर्श 6, प्रदर्श 7 मिलान खीट का अवलोकन किया। प्रदर्श 8A कुलदीराम लेता नारायण दास द्वारा वसीयत जो वादी के नाम की है का अवलोकन किया उक्त की पुष्टि में वसीयतनामे के गवाह ने शपथ पत्र प्रस्तुत किया व सही होना बताया। प्रदर्श 1 का अवलोकन किया आ०न० 2092 व 2093 गोदू राम के नाम दर्ज रेकार्ड है। अ हमने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन किया। की गई बहस पर मनन किया। दावा वादी स्वीकार किया जाता है अन्तिम पार्टी डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा ताणा प०ह० ताणा तहसील भूपालसागर की आ०न० 2092 रकबा 0.19 हे., आ०न० 2093 रकबा 0.17 हे. | |

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भूपालसागर जिला-चित्तौड़गढ़

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर अहक... हुक्म... में... |
|---|---|---|
| | कुल किता 2 कुल रकबा 0.36 हे. मे उदयलाल पिता मानजी दास जाति बैरागी नि० ताणा को 1/2 हक हिस्से से खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष गोकुलदास के नाम दर्ज रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। आदेश सुनाया गया। | |

(अभिषेक गोयल)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, भूपाल...
जिला-चित्तौड़गढ़ (राज.)

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Scanned by CamScanner